न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 1627-दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 25-05-2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 1272/अपील/2011-12.

प्रहलाद प्रसाद तनय स्व0 पिढाइया चर्मकार
निवासी- ग्राम बैरगला तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0

...............आवेदक

बनाम

रामसेवक तनय स्व0 पिढइया चर्मकार
निवास- ग्राम बैरगला तहसील रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0

.................अनावेदक

श्री रामानुज सोधिया, अधिवक्ता, आवेदक
श्री अवधेश सिंह अधिवक्ता, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/2/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा पारित दिनांक 25-05-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि अनावेदक द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 01 आदेश दिनांक 13-12-1982 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी, रधुराजनगर जिला सतना के समक्ष पेश की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 30-06-12 को आदेश पारित कर अपील प्रथम दृष्टया सुनवाई हेतु न पाये जाने के कारण निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 1272/अपील/2011-12 को दर्ज कर

दिनांक 25-05-2015 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने 90/- की कच्ची टीप के आधार पर नामांतरण किया है जिसमें शासन के स्टाम्प शुल्क की हानि समाहित है। जानकार होने पर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जहां अनुविभागीय अधिकारी ने बिना गुण-दोष पर निराकरण किये प्रकरण का तकनिकी आधार पर अग्राहय करने में त्रुटि की। इसी कारण जब अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने नामांतरण नियमों के तहत प्रकरण में परीक्षण कर उभय पक्षों को प्रथक से आवेदन दायर कर निराकरण हेतु प्रकरण अपर आयुक्त ने निर्देश के साथ समाप्त किया है, जो उचित है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अस्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा पारित दिनांक 25-05-2015 यथावत रखा जाता है।

06/02/19

(आर.के.मिश्रा)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,

ग्वालियर